फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल बनाम विपक्षी : श्री कालु व अन्य
किस्म मुकदमा – 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 84/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 23.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2025 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/25 (रिव्यु प्रार्थना पत्र) में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2025 को अपास्त किया गया जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 बहाल हो जाता है ऐसी स्थिति में में विचाराधीन प्रकरण को पुनः फैसल किया जाने एवं श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की। शामिल फाईल रहें।

हमने श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के आदेश दिनांक 12.09.2025 का अध्ययन किया। हमने पाया कि श्रीमान न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 53/25 अनवान दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर बनाम कालू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2025 को अपास्त किया गया। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 53/25 अनवान दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर बनाम कालू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2025 को अपास्त किये जाने से प्रकरण संख्या 84/25 अनवान दुर्गेश क्रशिंग प्लांट भीण्डर जरिये श्री चांदमल बनाम श्री कालू व अन्य में आदेश दिनांक 22.04.2025 बहाल हो जाता है उक्त आदेश में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिंता का स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। अतः आदेश दिनांक 22.04.2025 बहाल हो जाने से इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:53:06 IST
Reason: SelfAttested